

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 556]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 29 अक्टूबर 2020 — कार्तिक 7, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 13 अक्टूबर 2020

अधिसूचना
सं. 73/2020 — राज्य कर

क्रमांक एफ 10-75/2020/वाक/पांच(103).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जिन्हें छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 48 के उप-नियम (4) के तहत निर्दिष्ट तरीके से बीजक तैयार करना हैं, परंतु उन्होंने उक्त तरीके के अलावा अन्य तरीके से बीजक तैयार किया है, ऐसे व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती हैं जो 1 अक्टूबर, 2020 से 31 अक्टूबर, 2020 की अवधि के दौरान विशेष प्रक्रिया का पालन करेंगे, उक्त व्यक्ति ऐसे बीजक की तारीख से तीस दिनों के भीतर, सामान्य माल एवं सेवा कर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी आईएनवी-01 में निर्दिष्ट विवरण अपलोड करके ऐसे बीजक के लिए एक बीजक संदर्भ संख्या (आईआरएन) प्राप्त करेंगे एवं ऐसा ना करने पर वह बीजक मान्य नहीं माना जाएगा।

2. यह अधिसूचना 01 अक्टूबर से प्रभावशील मानी जाएगी। 2020,

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिंदर कौर द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 13 अक्टूबर 2020

क्रमांक एफ 10-75/2020/वाक/पांच(103).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-75/2020/वाक/पांच(103), दिनांक 13-10-2020 का अंग्रेजी अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिंदर कौर द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 13th October 2020

NOTIFICATION
No. 73/2020 – State Tax

No. F 10-75/2020/CT/V(103).— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons required to prepare the tax invoice in the manner specified under sub-rule (4) of rule 48 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, who have prepared tax invoice in a manner other than the said manner, as the class of persons who shall, during the period from the 1st day of October, 2020 to the 31st day of October, 2020, follow the special procedure such that the said persons shall obtain an Invoice Reference Number (IRN) for such invoice by uploading specified particulars in FORM GST INV-01 on the Common Goods and Services Tax Electronic Portal, within thirty days from the date of such invoice, failing which the same shall not be treated as an invoice.

2. This notification shall be deemed to have come in to force on 1st October 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANINDER KAUR DWIVEDI, Principal Secretary.